

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: नमित मेहता आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 28/2023 आवंटन निरस्ती

GCMS No. 2023/100

भंवरलाल पिता गिरधारीलाल गुर्जर निवासी: बलीचा, तहसील-गिर्वा, उदयपुर

— प्रार्थी

बनाम

1. श्री भग्गा पिता काना डांगी निवासी: मनवाखेड़ा, तहसील-गिर्वा, उदयपुर
2. श्री पुरा पिता काना डांगी निवासी: मनवाखेड़ा, तहसील-गिर्वा, उदयपुर
3. श्रीमती रूपीबाई पत्नी भग्गा डांगी निवासी: मनवाखेड़ा, तहसील-गिर्वा, उदयपुर
4. श्रीमती सवा बाई पत्नी पूरा डांगी निवासी: मनवाखेड़ा, तहसील-गिर्वा, उदयपुर

— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 बाबत
विपक्षी का आवंटन निरस्त कराने बाबत

उपस्थित:

1. श्री राजमल राव अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री सम्पतलाल बोहरा अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 4



निर्णय

दिनांक:— 23/06/2025

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा काया, तहसील गिर्वा में आराजी नंबर 3563 रकबा 0.6000 हैक्टेयर व आराजी नंबर 3564 रकबा 0.4700 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.0700 हैक्टेयर भूमि स्थित है। यह भूमि राजस्व रेकॉर्ड में बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज थी। विपक्षी भूमिहीन काश्तकार नहीं है तथा कथित भूमि के लिए प्रार्थी ने भी प्रार्थना पत्र दिया था परन्तु इस भूमि को काबिल काश्त नहीं मानकर प्रार्थी का आवंटित नहीं किया गया तथा इस भूमि का आवंटन विपक्षीगण के हक में कर दिया गया जबकि विपक्षीगण भूमिहीन काश्तकार नहीं है। विपक्षीगण ने कब्जा तो उक्त जमीन पर आवंटन के दिन ही कर लिया था तथा मंगुबाई ने कथित भूमि के चारो ओर परकोटा बनाकर कब्जा कर लिया। इस भूमि का आवंटन भग्गा को दिनांक 01.06.2002 को आवंटन सलाहकार समिति की राय से उपजिला कलक्टर, गिर्वा द्वारा किया गया, यह आवंटन नियमों के विपरीत होकर काबिल निरस्त के होने से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

जिला कलक्टर
उदयपुर

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर
प्र.स. 28/23 आवंटन निरस्ती
भंवरलाल बनाम भग्ना
GCMS No. 2023/100

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पॉण्डेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता रेस्पॉण्डेंट द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा काया, तहसील गिर्वा में आराजी नंबर 3563 रकबा 0.6000 हैक्टेयर व आराजी नंबर 3564 रकबा 0.4700 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.0700 हैक्टेयर जमीन पर प्रार्थी का कब्जा होकर वही इस पर काश्त कर रहा है। परन्तु तहसीलदार ने या पटवारी हल्का ने जो मौका देखे बिना विपक्षी के आवंटन प्रार्थना पत्र के पीछे पटवारी हलका ने जो रिपोर्ट की उसमें स्पष्ट लिखा है कि आराजी नंबर 3563 रकबा 0.6000 हैक्टेयर व आराजी नंबर 3564 रकबा 0.4700 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.0700 हैक्टेयर भूमि काबिल आवंटन योग्य है। अतः आवंटन किया जाना उचित है, रेकॉर्ड पर गैर काबिल काश्त होकर मौके पर काबिल काश्त है। उक्त आराजी उद्घोषणा में होकर गैर काबिल काश्त है मौके पर काश्त है अतः आवंटन किया जाना उचित है। कथित जमीन बिलानाम पहाड़ थी तथा कथित जमीन के संबंध में विपक्षी भूमिहीन काश्तकार थी क्योंकि उसके स्वयं के नाम से पहले से साढे चार बीघा भूमि ही थी ऐसी स्थिति में कथित किस्म जमीन पहाड का आवंटन नहीं किया जा सकता है। विपक्षी विधवा औरत होकर स्वयं काश्त नहीं करती है और वह ओरो से काश्त करवाती है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कथित जमीन को काबिल काश्त बताते हुए आवंटन करने का आदेश पारित किया जो बिल्कुल गलत होकर काबिल निरस्त के है। उक्त मामले में आवंटन सलाहकार समिति ने एम.एल.ए. मौजूद था, उपतहसीलदार मौजूद थे, विकास अधिकारी मौजूद था, प्रधान मौजूद था, सरपंच मौजूद था, इन सबकी राय से एस.डी.ओ ने दिनांक 01.06.2002 को विपक्षी के नाम आवंटन करने का आदेश दिया जो बिल्कुल गलत होकर निरस्त योग्य है। विपक्षी ने मौके पर आकर मुझे प्रार्थी से कहा कि यह जमीन तो मुझे आवंटित हुई है आप अपना कब्जा हटा लेवे इस कारण मैंने उसी समय इसकी नकल लेने का प्रार्थना पत्र दिनांक 02.08.2023 को पेश किया तथा नकलें दिनांक 04.08.2023 को प्राप्त हुई। कथित जमीन किस्म पहाड होने से इसका आवंटन नहीं किया जा सकता फिर भी विपक्षी ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अपने हक में आवंटन करवा लिया। विपक्षी ने आवंटन शर्तों की पालना नहीं की इस कारण विपक्षी के हम में लिया गया आवंटन निरस्त योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पॉण्डेंट द्वारा अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा काया, तहसील गिर्वा, उदयपुर में आराजी नंबर 3563 रकबा 0.6000 हैक्टेयर व आराजी नंबर 3564 रकबा 0.4700 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.0700 हैक्टेयर भूमि स्थित है। यह भूमि राजस्व रेकॉर्ड में बिलानाम दर्ज थी विपक्षी भूमिहीन काश्तकार थे। इस भूमि का आवंटन विपक्षीगण के हक में किया गया क्योंकि विपक्षीगण भूमिहीन काश्तकार है तथा विपक्षीगण ने भूमि पर कब्जा उसी दिन कर लिया था तथा आवंटनशुदा भूमि के चारो ओर पत्थर की कोट बना दिया है।



जिला कलक्टर
उदयपुर

यह आवंटन विपक्षीगण कोदिनांक 01.06.2002 को आवंटन सलाहकार समिति की राय से किया गया इस कारण इस आवंटन को किसी भी सूरत में नियमों के विपरीत नहीं कहा जा सकता है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं होकर विपक्षीगण का ही कब्जा है। तहसीलदार व पटवारी हल्का ने मौका देखकर ही कथित आराजी नंबर 3563 रकबा 0.6000 हैक्टेयर व आराजी नंबर 3564 रकबा 0.4700 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.0700 हैक्टेयर भूमि काबिल आवंटन योग्य होने से आवंटन की गई। कथित जमीन मौके पर काबिल काशत होकर उद्घोषणा पत्र नियमानुसार जारी किया हुआ होकर आवंटन उचित किया गया है। उक्त जमीन पहाड नहीं होकर समतल है तथा विपक्षीगण भूमिहीन काशतकार है। विपक्षीगण के नाम पहले से केवल 4.5 बीघा भूमि थी, ऐसी स्थिति में कथित जमीन का आवंटन नियमानुसार किया गया है। विपक्षीगण ग्रामीण होकर वह स्वयं काशत करते हैं उसके गुजारे का साधन केवलमात्र काशत है वह स्वयं काशत करती है तथा उसके व उसके परिवार का पालन-पोषण ही एकमात्र काशत पर ही है। विपक्षीगण को आवंटन पूरे कोरम से सलाहकार समिति की राय से किया गया था जिसमें, सरपंच, प्रधान, विकास अधिकारी, उपतहसीलदार, एम.एल.ए. मौजूद थे। आवंटन नियमों के विपरीत नहीं किया गया है। उक्त जमीन पर प्रार्थी का कभी कब्जा नहीं रहा, आवंटन के दिन से आज तक विपक्षी का कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी ने आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र 21 वर्ष बाद किया गया है जबकि विपक्षी का कब्जा आवंटन के दिन से आज तक शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। विपक्षी ने आवंटन शर्तों की अवहेलना नहीं की है। विपक्षी को कथित आवंटन नियमानुसार है। राजस्व कर्मचारियों से मिलकर आवंटन करवाने की बात बिल्कुल गलत होकर मनगढन्त एवं बनावटी है। नियमों में गैर काबिल काशत भूमि के आवंटन पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है इस कारण विपक्षीगण के हक में किया गया आवंटन बिल्कुल नियमानुसार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत आवंटन निरस्ती का खारिज फरमाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने अपने कथनों की ताईद में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये:-

1. R.B.J. 2018 page 539
2. A.I.R. 1994 S.C. page 1128
3. R.R.T. 2008(2) page 834
4. R.R.T. 2011(2) page 383
5. R.R.D. 2008 page 434
6. R.R.T. 2006-07 (Supp.) page 122

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों पर मनन किया गया। प्रकरण मे उपखण्ड अधिकारी गिर्वा द्वारा राजस्व ग्राम काया के आराजी संख्या 3563 रकबा 0.6000 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 3564 रकबा 0.4700 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 10.0700 हैक्टेयर भूमि



जिला कलक्टर
 उदयपुर

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर
प्र.स. 28/23 आवंटन निरस्ती
भंवरलाल बनाम भग्गा
GCMS No. 2023/100

रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 4 के नाम दिनांक 01.06.2002 को आवंटन सलाहकर समिति की सिफारिश के आधार पर आवंटित की गई। प्रार्थी द्वारा 21 वर्ष पश्चात आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। 21 वर्ष पश्चात प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई ठोस प्रमाणिक कारण प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में आवंटन के दिन से ही विपक्षीय का उक्त भूमि पर कब्जा होने का अंकन किया गया है। आवंटन, किस प्रकार नियमों/प्रक्रिया के विपरित है प्रार्थी यह सिद्ध करने में असफल रहा है, ना ही आवंटन शर्तों की अवहेलना के संबंध में कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। साथ ही उक्त खसरा नम्बर वर्तमान में नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर/उदयपुर विकास प्राधिकरण के नाम खातेदारी से दर्ज रिकार्ड होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) पोषणीय नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति मंय आवंटन पत्रावली 865/03 उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।



(नमित मेहता)
जिला कलक्टर
उदयपुर